बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २३ अप्रैल, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS

पंचायत चुनाव होने के बाद शपथ ग्रहण में उपद्रव के कारण विलम्ब।

*२०१। श्री राम नारायण चौधरी—क्या मंत्री, स्थानीय स्वायत्त-शासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुंगेर जिला के बेगूसराय सबडिवीजन, थाना तेघरा के बरौनी गांव ब्लौक नं० २ का पंचायत का चुनाव हुए कितने दिन हुए;

(ख) वहां अभी तक शपथ ग्रहण कराया गया या नहीं;

(ग) यदि अभी तक शपथ ग्रहण नहीं कराया गया, तो शीघ्र क्यों नहीं कराया जा रहा है;

(घ) क्या यह बात सही है कि शपथ ग्रहण कराने के लिए जो उसके औफिसर गये थे उनके सामने ही असन्तुष्ट दल ने उपद्रव किया, यदि हां, तो उपद्रवकारियों पर सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की, अगर नहीं की, तो क्यों?

श्री भोला पासवान—(क) बरौनी गांव ब्लौक नं० २ के पंचायत का चुनाव ३० जुलाई, १९५२ को हुआ था।

(ख) शपथ ग्रहण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है।

(ग) बरौनी ब्लौक नम्बर २ और ३ की जनता में घोर दलबन्दी के कारण शपथ ग्रहण में विलम्ब किया गया था।

(घ) प्रथम खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है। उपद्रवकारियों पर मुकदमा चलाया गया है जो विचाराधीन है।

श्री रमेश झा—शपथ ग्रहण का काम होने वाला है या नहीं?

श्री भोला पासवान—जब तक विचाराधीन है तब तक तो नहीं होगा।

श्री पशुपति सिंह 'परवल'—शपथ ग्रहण नहीं किया गया तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि इसकी वजह से उपद्रवकारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है?

अध्यक्ष—यह तो राय की बात है।

श्री केदार पांडे—क्या यह बात सच है कि शपथ ग्रहण न करने की वजह से लोगों का यह ख्याल हो गया है कि सरकार भी हमलोगों के साथ है?

अध्यक्ष—यह भी राय की बात है।

*सदस्य की अनुपस्थिति में श्री रमेश झा के अनुरोध से उत्तर दिया गया।

एकाउन्टेन्ट-जेनेरल का जो स्थान होना चाहिए वह आज नहीं है। हमारे मित्र श्री दारोगा प्रसाद राय ने यह बतलाया है कि नेशनलाइजेशन की जो बात चली उसमें बहुत से फर्म स्टैब्लिश हो गये हैं जिसमें सबस्टैंशियल एमाउन्ट गवर्नमेंट का है। लेकिन, वे प्राइवेट फर्म की तरह हैं और वहां एकाउन्टेन्ट-जेनेरल का ऐक्सेस नहीं हो पाता है। सिन्दरी का कारखाना भी इसी तरह का है। बहुत से इलेक्ट्रिक कम्पनी भी इसी तरह के हो सकते हैं। वहां किस तरह से खर्च होता है वह चीज हमारे सामने नहीं आती है। इस तरह का एक कानून होना चाहिए कि जो कुछ रुपया हमारा किसी फर्म या बोर्ड को दिया जाय तो उस पर कंट्रोल हमारा रहे। हमलोग जब सभी सदस्य पब्लिक एकाउन्ट्स कमिटी के ऑबजरवेशन से हैं तो उसको पास करने का मतलब होगा कि जितना इरेगुलैरिटीज हुआ उनको भी पास कर दिया। वैसी हालत में सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस बात की कोशिश करेगी कि जहां तक संभव हो इरेगुलैरीटीज को बन्द करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट की तारीफ करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार सरकार के १९४८-४९ के विनियोग लेखे और वित्त लेखे तथा उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I beg to move ;

That the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation Accounts and Finance Accounts of the Government of Bihar for 1948-49 and the Audit Report thereon be adopted.

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार सरकार के १९४८-४९ के विनियोग लेखे और वित्त लेखे तथा उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्यक्रम की घोषणा।

ANNOUNCEMENT FROM THE CHAIR REGARDING THE BUSINESS OF THE HOUSE.

अध्यक्ष—२९ और ३० तारीख को सरकारी विधेयक लिये जायेंगे। उनकी सूची बाजाप्ता छापकर सदस्यों को बांट दी जायेगी। बिल्स के नाम ये हैं—

(1) The Bihar Local Self-Government (Amendment) Bill, 1953, under discussion.
(2) The Bihar Emergency Cultivation and Irrigation (Temporary Provisions) (Amendment) Bill, 1953.
(3) The Bihar Preservation and Improvement of Animals Bill, 1953.
(4) The Bihar Legislature Officers' (Salaries and Allowances) Bill, 1953.
(5) The Bihar Development of Homeopathic System of Medicine Bill, 1953.

(6) The Bihar Agricultural Pests, Diseases and Noxious Weeds Bill, 1953.

(7) The Patna Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1953.

प्रश्नों के संबंध में आधा घन्टा वाद-विवाद करने का जो अधिकार सदस्यों को है उसके अनुसार कल पांच से साढ़े पांच बजे तक वाद-विवाद होगा।

श्री दारोगा प्रसाद राय—ऐसे दो प्रश्न हैं, किन पर वाद-विवाद होगा ?

अध्यक्ष—उसकी बाजाप्ते सूचना आपको दे दी जायेगी।

सभा बुधवार तिथि २९ अप्रील, १९५३ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना ;
तिथि २८ अप्रील, १९५३।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

बि० स० मु० (ए० एल० ए०)—१७६—७९४+१—मोनो—१४-२-५४—अ० कुमार